स्प्री योजना से जुड़ेंगे तो निरीक्षण होगा न जुर्माना लगेगा

ईएसआईसी की एसपीआरईई-2025 योजना पर गुरुग्राम में उद्यमियों को किया गया जागरुक

अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से संचालित स्प्री योजना (एसपीआरईई) से नियोक्ता जुड़ेंगे तो निरीक्षण होगा न ही किसी प्रकार का जुर्माना लगेगा। नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल या श्रम सुविधा पोर्टल के जरिये अपनी इकाइयों और कर्मचारियों का पंजीकरण कर सकते हैं। उद्यमियों को यह जानकारी जागरूकता संगोष्ठी के जरिए उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम ने दी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी सुनील यादव ने की। उन्होंने पंचदीप प्रज्ज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि ईएसआईसी की स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक अपंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाना है। जो नियोक्ता स्प्री योजना में पंजीकरण कराएंगे, उनका पंजीकरण उस तिथि से वैध माना जाएगा जो नियोक्ता घोषित करेगा।

इस संगोष्ठी में गुरुग्राम औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष जे एन मंगला, प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ़ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके गुप्ता, नियोक्ता संघ के संदीप सांगवान और हरीश शर्मा, गुड़गांव इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सुमित राव तथा सेफ इन फाउंडेशन से आशा और चन्द्र शर्मा, उप निदेशक सचिन सिंह, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वीटी यादव, सहायक निदेशक कमलेन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार सहित अधिकारी मौजूद रहे।

जागरुकता संगोष्ठी के दौरान गुरुग्राम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अधिकारी। संवाद

डल से शट कर रही थी वीडियो, पीछे चल रही गाडी के चालक ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो किया अपलोड

समाधान शिविर में मिली